परिचायक टिप्पणी

इस दस्तावेज में आरम्भ में ही प्राप्तियों का सार दिया गया है जिसके बाद कर-राजस्व, कर-भिन्न राजस्व और पूंजी प्राप्तियों के ब्यौरे दिए गए हैं।

अनुबंधः

अनुबंध 1 में प्राप्तियों की प्रवृत्तियां दी गई हैं। कर और कर-भिन्न प्राप्तियों का विश्लेषण अनुबंध 2 में दिया गया है। अनुबंध 3 में व्यय की प्रवृत्तियों के ब्यौरे दिए गए हैं, जबकि अनुबंध 4 में मिलान के ब्यौरे दिए गए हैं। अनुबंध 5 ऋण स्थिति से संबंधित है तथा इसके निम्न उप भाग हैं - अनुबंध 5(i) - देनदारियों का विवरण, अनुबंध 5(ii) - परिसम्पत्तियों का विवरण, अनुबंध 5(iii) - गारंटियों का विवरण और अनुबंध 5(iv) -परिसम्पत्ति रजिस्टर।

अनुबंध 6 में केन्द्र सरकार के चालू रुपया ऋणों का ब्यौरा है, जबकि अनुबंध 6क और 6ख में भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी की गई विशेष सरकारी प्रतिभूतियों के ब्यौरे दिए गए हैं। अनुबंध 6ग से अनुबंध 6ञ में लोक लेखा से निर्गमित बाजार ऋणों के संबंध में पीओएलआईएफ के प्रतिभूतीकरण सहित विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को जारी की गई सब्सिडी और विशेष बांडों के स्थान पर जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों के ब्यौरों को दर्शाया गया है। अनुबंध 7क में राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत और उपयोग दर्शाए गए हैं जबकि अनुबंध 7ख राष्ट्रीय लघु बचत निधि का एक वित्तीय विवरण है। अनुबंध 8 में वार्षिकी परियोजनाओं संबंधी देनदारियों का ब्यौरा है।

अनुबंध 9 में विदेशी सहायता संबंधी विवरण है, जबकि अनुबन्ध 10, 10क और 10ख क्रमशः ब.अ. 2013-14, सं. अ. 2012-13 तथा 2011-12 के वास्तविक आंकड़े संघीय करों तथा प्रशुल्कों की निवल प्राप्तियों में राज्यवार वितरण का ब्यौरा देते हैं। अनुबंध 11 में जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर-राजस्वों का विवरण है और अनुबंध 12 कर-भिन्न राजस्व की बकाया राशि का विवरण है। अनुबंध 13 में 2013-14 के दौरान उन्मोचन के लिए बकाया बाजार ऋणों का ब्यौरा है जबकि अनुबंध 14 में रेलवे प्रारक्षित निधियों का ब्यौरा दिया गया है। अनुबंध 15 में केन्द्रीय कर प्रणाली के अन्तर्गत परित्यक्त राजस्व के विवरण हैं।

प्राप्ति बजट में 2011-12 के वास्तविक आंकड़ें अनंतिम हैं।